भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3844

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता

3844. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)के कार्यान्वयन की स्थिति और प्रभावशीलता क्या है;

(ख) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार लाने और इसकी कमियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के पास खाद्य वितरण की बेहतर ट्रैकिंग के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के संबंध में अद्यतन स्थिति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत लागू किया गया है। यह अधिनियम प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी का और 50% तक शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करता है। प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है।

...2/-

वर्तमान में, 80.67 करोड़ व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से सहजता से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

(ख) से (घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों को प्रौद्योगिकी आधारित करने के भाग के रूप में, पीडीएस की दक्षता में सुधार करने और लीकेज को कम करने के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डेटाबेस को पूर्णतः डिजिटाइज (100%) कर दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण योजना को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अलावा, खाद्यान्न वितरण की बेहतर ट्रैकिंग हेतु देश में कुल 5.43 लाख उचित दर की दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) उचित दर दुकानों को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी ढंग (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्नों के वितरण को ईपीओएस डिवाइस लगाकर स्वचालित किया गया है।

*****